

प्रश्न: लोक वित्त एवं निजी वित्त में अंतर स्पष्ट करें।

उत्तर :- वित्त (Finance) किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था का आधार होता है। वित्त का अर्थ है-धन की प्राप्ति, उसका उचित प्रबंधन तथा आवश्यकतानुसार उसका व्यय। किसी भी समाज, संस्था या सरकार के सुचारु संचालन के लिए वित्त का महत्वपूर्ण स्थान है। वित्त के माध्यम से ही विकास योजनाएँ बनाई जाती हैं, संसाधनों का वितरण होता है तथा आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है।

वित्त को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है-लोक वित्त (Public Finance) तथा निजी वित्त (Private Finance)। लोक वित्त सरकार और सार्वजनिक संस्थाओं के आय-व्यय, कराधान, सार्वजनिक ऋण तथा बजट से संबंधित होता है, जबकि निजी वित्त व्यक्ति, परिवार, निजी संस्थाओं तथा कंपनियों के आय-व्यय, बचत, निवेश एवं लाभ से संबंधित होता है। दोनों का संबंध धन के प्रबंधन से है, परंतु इनके उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, उत्तरदायित्व तथा कार्यप्रणाली में पर्याप्त अंतर पाया जाता है।

लोक वित्त (Public Finance)

लोक वित्त अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो सरकार की आय, व्यय, कराधान, सार्वजनिक ऋण, बजट, सार्वजनिक उपक्रमों तथा वित्तीय नीतियों का अध्ययन करती है। इसका उद्देश्य केवल धन का संग्रह करना नहीं, बल्कि जनता के कल्याण के लिए उसका उचित उपयोग करना होता है।

सरकार विभिन्न स्रोतों जैसे-प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर, शुल्क, जुर्माना, सार्वजनिक उपक्रमों की आय तथा सार्वजनिक ऋण के माध्यम से धन एकत्र करती है। इस धन का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, सड़क, रेलवे, बिजली, जल आपूर्ति, रक्षा, सामाजिक सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन तथा अन्य विकास योजनाओं में किया जाता है।

लोक वित्त का प्रमुख उद्देश्य अधिकतम जनकल्याण, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय तथा राष्ट्रीय प्रगति सुनिश्चित करना होता है।

निजी वित्त (Private Finance)

निजी वित्त वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति, परिवार, निजी संस्था या निजी कंपनी अपनी आय, व्यय, बचत, निवेश तथा ऋण का प्रबंधन करती है। इसका मुख्य उद्देश्य सीमित आय का उचित उपयोग करके अधिकतम लाभ प्राप्त करना तथा भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है।

निजी वित्त में व्यक्ति अपनी आय के अनुसार खर्च करता है, बचत करता है तथा लाभदायक क्षेत्रों में निवेश करता है। निजी क्षेत्र के निर्णय मुख्यतः व्यक्तिगत हितों एवं लाभ को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।

लोक वित्त एवं निजी वित्त में अंतर

- आधार
- लोक वित्त (Public Finance)
- निजी वित्त (Private Finance)

1. अर्थ

सरकार के आय-व्यय एवं वित्तीय प्रबंधन का अध्ययन।

व्यक्ति, परिवार या निजी संस्था के आय-व्यय का प्रबंधन।

2. उद्देश्य

जनकल्याण, आर्थिक विकास, सामाजिक समानता एवं राष्ट्रीय हित।

व्यक्तिगत लाभ, आर्थिक सुरक्षा तथा संपत्ति में वृद्धि।

3. कार्यक्षेत्र

संपूर्ण राष्ट्र एवं समाज।

व्यक्ति, परिवार या निजी संस्था तक सीमित।

4. आय के स्रोत

कर, शुल्क, जुर्माना, सार्वजनिक उपक्रमों की आय, सार्वजनिक ऋण, विदेशी सहायता।

वेतन, व्यवसाय, किराया, ब्याज, लाभांश, कृषि आय आदि।

5. व्यय का स्वरूप

शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, सड़क, सिंचाई, बिजली, सामाजिक सुरक्षा एवं विकास योजनाएँ।

भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन, बचत एवं निवेश।

6. लाभ का उद्देश्य

लाभ कमाना मुख्य उद्देश्य नहीं।

लाभ अर्जित करना मुख्य उद्देश्य।

7. बजट

घाटे का बजट भी बनाया जा सकता है।

सामान्यतः संतुलित बजट बनाया जाता है।

8. घाटे की पूर्ति

कर बढ़ाकर, सार्वजनिक ऋण लेकर या मुद्रा जारी करके।

बचत, बैंक ऋण या अतिरिक्त आय से।

9. निर्णय लेने वाला

सरकार, संसद एवं वित्त मंत्रालय।

व्यक्ति, परिवार या संस्था का मालिक।

10. उत्तरदायित्व

जनता एवं संविधान के प्रति उत्तरदायी।

स्वयं, परिवार, मालिक या शेयरधारकों के प्रति उत्तरदायी।

11. प्रभाव

संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है।

सीमित रूप से व्यक्ति या संस्था तक प्रभाव।

12. गोपनीयता

अधिकांश जानकारी सार्वजनिक होती है।

अधिकांश जानकारी गोपनीय रखी जाती है।

13. आय-व्यय का सिद्धांत

आवश्यकता पड़ने पर आय से अधिक व्यय किया जा सकता है।

सामान्यतः आय के अनुसार ही व्यय किया जाता है।

14. नियंत्रण

संविधान, संसद एवं नियंत्रक संस्थाओं द्वारा।

मालिक, परिवार या कंपनी के प्रबंधन द्वारा।

15. उद्देश्य की प्रकृति

- सामाजिक एवं राष्ट्रीय।
- व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक।
- लोक वित्त की प्रमुख विशेषताएँ
- इसका संचालन सरकार द्वारा किया जाता है।
- इसका उद्देश्य अधिकतम जनकल्याण होता है।
- इसमें कराधान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
- सार्वजनिक व्यय विकास एवं कल्याण के लिए किया जाता है।
- आवश्यकता पड़ने पर सरकार सार्वजनिक ऋण ले सकती है।
- बजट संसद द्वारा स्वीकृत किया जाता है।
- इसका प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।
- निजी वित्त की प्रमुख विशेषताएँ
- इसका संचालन व्यक्ति, परिवार या निजी संस्था द्वारा किया जाता है।
- इसका मुख्य उद्देश्य लाभ एवं आर्थिक सुरक्षा है।
- आय सीमित होती है, इसलिए व्यय पर नियंत्रण आवश्यक होता है।
- बचत एवं निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
- वित्तीय निर्णय स्वतंत्र रूप से लिए जाते हैं।
- निजी वित्त में गोपनीयता बनाए रखी जाती है।
- इसका प्रभाव मुख्यतः संबंधित व्यक्ति या संस्था तक सीमित रहता है।
- लोक वित्त एवं निजी वित्त की समानताएँ
- दोनों का संबंध धन के संग्रह, प्रबंधन एवं व्यय से है।
- दोनों में बजट बनाया जाता है।
- दोनों में सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है।
- दोनों में भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर योजना बनाई जाती है।

- दोनों में बचत एवं वित्तीय अनुशासन का महत्व होता है।
- दोनों का उद्देश्य आर्थिक स्थिरता बनाए रखना है।
- लोक वित्त का महत्व
- आर्थिक विकास को गति देता है।
- रोजगार के अवसर बढ़ाता है।
- गरीबी एवं बेरोजगारी कम करने में सहायता करता है।
- शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करता है।
- आधारभूत संरचना (Infrastructure) का विकास करता है।
- सामाजिक न्याय एवं आय के समान वितरण को बढ़ावा देता है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा एवं प्रशासन को मजबूत बनाता है।
- निजी वित्त का महत्व
- आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाता है।
- भविष्य के लिए बचत एवं निवेश को प्रोत्साहित करता है।
- वित्तीय संकट से सुरक्षा प्रदान करता है।
- जीवन स्तर में सुधार करता है।
- संपत्ति निर्माण एवं आय वृद्धि में सहायता करता है।
- व्यक्तिगत आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है।

निष्कर्ष

लोक वित्त एवं निजी वित्त दोनों आर्थिक व्यवस्था के अत्यंत महत्वपूर्ण अंग हैं। दोनों का उद्देश्य धन का उचित प्रबंधन करना है, परंतु इनके उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र अलग-अलग हैं। लोक वित्त का मुख्य उद्देश्य जनकल्याण, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय तथा राष्ट्रीय प्रगति है, जबकि निजी वित्त का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ, आर्थिक सुरक्षा तथा संपत्ति में वृद्धि करना है। एक सशक्त अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए लोक वित्त और निजी वित्त दोनों का संतुलित, पारदर्शी तथा प्रभावी संचालन अत्यंत आवश्यक है।